



केन्द्रीय

सम्माननीय जीवन
समान अधिकार



दैनिक

मानवाधिकार

| नागपुर. शुक्रवार, 1 अगस्त 2025

| वर्ष - 13

| अंक - 157

| पृष्ठ - 4

| मुल्य - 2 रु.

संपादक : मिलिंद दहिवले

**दैनिक केन्द्रीय मानवाधिकार
हिन्दी समाचारपत्र के लिए चाहिए**
**प्रकार, फाइम रिपोर्टर, फोटोग्राफर,
काउंसलर, रिसेशनलिस्ट, मार्केटिंग
विभाग इंचार्ज, न्यूज एंकर, वीडियो
एडिटर, टेलीकॉलर, इवेंट मैनेजर**
M/F उमेदवार शीघ्र संपर्क करें
- मुख्य कार्यालय -
प्लॉट नं. 386, चंदन नगर, नागपुर-440 024
संपर्क - 9552011005

न्यूज गैलरी

पुरुषों ने भी ले लिए लाडकी बहिन योजना के पैसे - अदिति तटकरे

मुंबई – महाराष्ट्र में पुरुषों ने भी लाडकी बहिन योजना के पैसे ले लिए हैं। इसे लेकर हंगामा मचा हुआ है और मंत्री अदिति तटकरे ने कहा है कि ऐसे पुरुषों पर कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार की लाडकी बहिन योजना का लाभ पुरुषों ने भी उठा लिया है। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद सियासी बवाल जारी है। जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र में करीब 14000 पुरुषों ने लाडकी बहिन योजना का लाभ उठा लिया है, जो केवल महिलाओं के लिए लागू की गई थी। इस मामले को लेकर इस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा है कि कई मामलों में ऐसा हुआ हो सकता है कि योजना की लाभार्थी महिला के पास बैंक अकाउंट नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने पतियों के अकाउंट का डिटेल्स दे दिया होगा। उन्होंने बताया कि पिछले साल 28 जून को योजना की घोषणा हुई थी और आवेदन की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर तक की गई थी। हो सकता है कि इस अवधि में कुछ पुरुषों द्वारा भी आवेदन किए गए, यह बात भी सामने आई है। यह भी जांच का विषय है कि क्या वास्तव में पुरुषों ने खुद आवेदन किया, या केवल उनके खाते का इस्तेमाल हुआ, इसकी जांच जारी है। जिन्होंने योजना का गलत फायदा उठाया है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। एक मामले में एक व्यक्ति ने 30-35 अकाउंट योजना से जोड़े थे, ऐसे अकाउंट सील कर दिए गए हैं। इससे पहले भी अपात्र महिलाओं के आवेदन रद्द किए गए हैं।" इस योजना को लेकर एक और दावा किया जा रहा है कि प्रदेश की साढ़े नौ हजार से ज्यादा महिला सरकारी कर्मचारियों ने भी इस योजना का लाभ उठाया है। कहा जा रहा है कि इन महिलाओं ने एक तरफ सरकार से सैलरी भी ली और लाडकी बहिन योजना के 1500 रुपये भी लिए। लाडकी बहिन योजना मैने इस बारे में पिछले कई महीनों से यह जानकारी दी है कि जिन्होंने गलत तरीकों से योजना का लाभ लिया है, उनके बारे में मुख्यमंत्री दोनों उप मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। जो पात्र हैं उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, जो 14000 पुरुष हैं उसके बारे में डिटेल् स्कूटीनी की जाएगी, इसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने 26 लाख का डाटा दिया है। एक्युअल जो अपात्र है वो ग्रांडड लेवल पर जांच करने के बाद ही पता चलेगा। प्रॉपर्टी हमें पात्र लाभार्थी को न्याय देना है। उनके पास जितने भी रजिस्ट्रेशन हैं-कुछ फूड, परिवहन, ग्राम विकास आदि का भी डाटा इसमें हो सकता है।

गर्लफ्रेंड को दूसरी मंजिल से नीचे फेंका, बॉयफ्रेंड गिरफ्तार

पुणे – गर्लफ्रेंड ने शादी से जैसे ही इंकार किया, उसका प्रेमी गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुणे से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां शादी से इंकार करने की वजह को लेकर एक प्रेमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। इस घटना गर्लफ्रेंड गंभीर रूप से घायल हो गई है। अब उसका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार, यह वारदात पुणे के करीबी चाकन इलाके के नानेकर वाडी में हुई है। जहां शादी से इंकार करने के बाद प्रेमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को बिल्डिंग के दूसरे मंजिल से सीधे नीचे फेंक कर उसे जान से मारने की कोशिश है। इस वारदात को अंजाम देने वाले प्रेमी का नाम सुरेश सिंह शिवकुमार है, जिसे चाकन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की जांच कर रही पुलिस अधिकारी श्रेया कदम ने कहा कि अपराधी सुरेश सिंह का पिछले 9 साल से पीड़ित गर्लफ्रेंड से प्रेम संबंध चल रहे थे। पिछले 1 साल पहले पीड़ित गर्लफ्रेंड चाकन इलाके में स्थित एक कंपनी में नौकरी कर रही थी। वह सुरेश सिंह से शादी भी करने वाली थी, लेकिन सुरेश सिंह अपनी गर्लफ्रेंड पर शक करता था कि उसके किसी से नाजायज संबंध चल रहे हैं। सुरेश सिंह की इस हरकत से उसकी गर्लफ्रेंड भी परेशान हो चुकी थी। इसलिए उसने शादी नहीं करने का फैसला लिया था। जब सुरेश सिंह पीड़ित गर्लफ्रेंड के फ्लैट पर दाखिल हुआ और उसे शादी करने के बारे में पूछता रहा तब पीड़िता ने उसके साथ शादी करने से इनकार किया। इससे सुरेश सिंह आग बबूला हो गया और उसने पीड़िता को जान से मारने के उद्देश्य से बिल्डिंग के दूसरी मंजिल से सीधे नीचे फेंक दिया। इसके बाद सुरेश वहां से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल पीड़िता को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां पीड़ित प्रेमिका के सिर, पैर और पीठ में गंभीर रूप से चोटें आई हैं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी प्रेमी सुरेश सिंह शिवकुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।

हाइवे पर अचानक ब्रेक लगाना लापरवाही माना जाएगा : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली – 'हाइवे पर अचानक ब्रेक लगाना एक्सीडेंट की स्थिति में लापरवाही माना जाएगा', सड़क हादसों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राजमार्ग पर अचानक और अघोषित ब्रेक लगाना लापरवाही माना जा सकता है, विशेषकर यदि किसी को इससे खतरा हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर कोई कार चालक बिना किसी चेतावनी के हाईवे पर अचानक ब्रेक

लगाता है, तो उसे सड़क दुर्घटना की स्थिति में लापरवाही माना जा सकता है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने मंगलवार को कहा कि किसी चालक द्वारा राजमार्ग के बीच में अचानक वाहन रोकना, चाहे वह व्यक्तिगत आपातस्थिति के कारण ही क्यों न हुआ हो, उचित नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए खतरा हो सकता है। पीठ के लिए फैसला लिखने वाले न्यायमूर्ति धूलिया ने

कहा कि राजमार्ग पर वाहनों की तेज गति अपेक्षित है और यदि कोई चालक अपना वाहन रोकना चाहता है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वह सड़क पर पीछे चल रहे अन्य वाहनों को चेतावनी या संकेत दे।

यह फैसला इंजीनियरिंग के छात्र एस.मोहम्मद हकीम की याचिका पर आया, जिनका बायां पैर सात जनवरी, 2017 को कोयंबटूर में एक सड़क दुर्घटना के बाद काटना पड़ा था। यह घटना तब हुई जब हकीम की मोटरसाइकिल एक कार के पिछले

हिस्से से टकरा गई जो अचानक रुक गई थी। परिणामस्वरूप, हकीम सड़क पर गिर गये और पीछे से आ रही एक बस ने उन्हें टक्कर मार दी। कार चालक ने दावा किया था कि उसने अचानक ब्रेक इसलिए लगाए क्योंकि उसकी गर्भवती पत्नी को उलटी जैसा महसूस हो रहा था। हालांकि, अदालत ने इस स्पष्टीकरण को यह कहते हुए खारिज कर दिया, "कार चालक द्वारा राजमार्ग के बीच में अचानक कार रोकने के लिए दिया गया स्पष्टीकरण किसी भी



दृष्टिकोण से उचित नहीं है। अदालत ने अपीलकर्ता को केवल 20 प्रतिशत की सीमा तक ही लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया, जबकि कार

चालक और बस चालक को क्रमशः 50 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की सीमा तक लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया।

अदालत ने मुआवजे की कुल राशि 1.14 करोड़ रुपये आंकी, लेकिन अपीलकर्ता की सहभागी लापरवाही के कारण इसे 20 प्रतिशत कम कर दिया जिसका भुगतान दोनों वाहनों की बीमा कंपनियों द्वारा चार सप्ताह के भीतर उसे किया जाना है। इस मामले में, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने कार चालक

को दोषमुक्त करार दिया और अपीलकर्ता तथा बस चालक की लापरवाही को 20:80 के अनुपात में निर्धारित किया। इसने कार से पर्याप्त दूरी न बनाए रखने के लिए अपीलकर्ता को 20 प्रतिशत की लापरवाही का जिम्मेदार ठहराया। हालांकि, मद्रास उच्च न्यायालय ने कार चालक और बस चालक को क्रमशः 40 और 30 प्रतिशत की सीमा तक और अपीलकर्ता को 30 प्रतिशत सहभागी लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया था।

मानवाधिकार हनन, महिला उत्पीड़न, बालश्रम एवं भ्रष्टाचार पर केंद्रीत हिंदी सांध्य दैनिक समाचार पत्र

संपादक की कलम से रोजगार के अवसर

सहकारी संस्थाओं को नए प्रोजेक्ट शुरू करने, संयंत्रों के विस्तार तथा ऋण देने में सहायता मिलेगी जिससे सहकारिता से जुड़े करोड़ों सदस्य लाभान्वित होंगे, महिलाएँ आत्मनिर्भर बनेंगी और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। शाह ने कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को आगामी चार वर्षों के लिए कुल 2000 करोड़ की अनुदान सहायता को मंजूरी दिए जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार प्रकट किया। एक्स प्लेटफॉर्म पर अपनी पोस्ट्स में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री शाह ने कहा कि “मोदी जी के ‘सहकार से समृद्धि’ के मंत्र पर चलते हुए ‘राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम’ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने NCDC को आगामी चार वर्षों के लिए 500 करोड़ प्रति वर्ष की दर से कुल 2000 करोड़ की अनुदान सहायता को मंजूरी दी है।



मिलिंद दहिवालें
संपादक

केन्द्रीय मानवाधिकार

विकलांगता : बाधा नहीं, समाज का एक स्तंभ है

सोलापुर जिला प्रशासन और जिला परिषद के सहयोग से क्रियान्वित 'दिव्यांग व्यक्ति अस्मिता अभियान' केवल एक चिकित्सा प्रमाणपत्र अभियान नहीं है, बल्कि दिव्यांगजनों के आत्म-सम्मान, सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन का एक क्रांतिकारी प्रयास है। इस अभियान ने सोलापुर जिले के हजारों लाभार्थियों के लिए 21 प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का मार्ग प्रशस्त किया है। अतः यह निश्चित है कि विकलांगता, विकलांगता नहीं, बल्कि समाज का एक आधार स्तंभ बनेगी। दिव्यांगजनों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए 'दिव्यांग व्यक्ति अस्मिता अभियान' की रूपरेखा तैयार की गई।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार, 21 प्रकार की विकलांगताओं के लिए प्रमाण पत्र अनिवार्य है और इसके लिए केंद्र सरकार की आत्मनिर्भरता योजना (यूडीआईडी कार्ड) का उपयोग किया जाता है। सोलापुर जिले के हजारों दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए जिला कलेक्टर कुमार आशीर्वाद की संकल्पना के तहत जिले में यह अभियान चलाया गया।

प्रारंभिक निरीक्षण और शिविर डिजाइन : निरीक्षण अवधि: 19 अगस्त से 26 सितंबर, 2024, कुल शिविर: 25, प्राथमिक जांच लाभार्थी: 18,421 विकलांग व्यक्ति, प्रमाण पत्र वितरण: पात्र 13,521 लाभार्थियों के घरों तक 90 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र वितरित किए गए, मानसिक

रूप से विकलांग बच्चों की मनोवैज्ञानिक जांच और अवलोकन, दूसरा चरण: व्यापक शिक्षा के अंतर्गत 11



तालुकाओं के 1,010 बौद्धिक रूप से विकलांग बच्चों का आईक्यू परीक्षण। निरीक्षण स्थान: ब्लॉक और क्लस्टर स्तर पर 43 स्थानों पर मनोवैज्ञानिकों द्वारा निरीक्षण।

प्रशिक्षण और समन्वय कार्यशाला - जिले में इस अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों

के लिए कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। अभियान की शुरुआत में 16 कार्यशालाओं के माध्यम से 3,742 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

हितधारक : स्वास्थ्य अधिकारी, शिक्षा अधिकारी, माता-पिता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन, आदि। होम डिलीवरी के लाभ और ब्रोशर - प्रमाण पत्र के साथ प्रदान की जाने वाली सामग्री: यूडीआईडी कार्ड, रेलवे रियायत प्रमाणपत्र, विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी, विकलांग व्यक्तियों

के अधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी, शुभकामना पत्र प्रतिक्रिया के लिए पोस्टकार्ड (स्पीड पोस्ट के माध्यम से)

प्रशासन की सक्रिय भागीदारी - अभियान की शुरुआत जिलाधिकारी कुमार आर्शिवाद की संकल्पना से की गयी. मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम की देखरेख में अभियान को बहुत प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया गया। जबकि विशेषज्ञ पैनल: डॉ. रुक्मिण जयकर, डॉ. सुहास माने, सुलोचना सोनावणे, मीनाक्षी वाकडे, डॉ. संपति टोडकर, डॉ. रोहन वैचल, कादर शेख।

मित्रा संस्था, मिशन संस्थान का योगदान अमूल्य रहा। इस प्रकार, जिला प्रशासन, जिला परिषद, स्वास्थ्य विभाग और मित्रा संस्था ने उचित समन्वय से जिले में दिव्यांग अस्मिता अभियान को सफल बनाया है।

'दिव्यांग वाटिका अस्मिता अभियान' सोलापुर जिले के दिव्यांग नागरिकों के लिए एक आदर्श बन गया है। चिकित्सा परीक्षण, सूचना संकलन, तकनीकी समन्वय, घर पहुँच सेवा और व्यापक प्रशिक्षण इन सभी तत्वों ने दिव्यांगों को न केवल सेवा प्रदान की है, बल्कि सम्मान भी प्रदान किया है। सूची के माध्यम से, 13521 दिव्यांगजनों को उनके घर पर ही विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। इसलिए, इन दिव्यांगजनों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए, इस अभियान के माध्यम से दिव्यांगजन एक सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं, और उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव दिखाई देता है।

-सुनील सोनटवके, जिला सूचना अधिकारी, सोलापुर

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 6 बड़े फैसले, किसान संपदा योजना के लिए 6520 करोड़ मंजूर

कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 1920 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च को मंजूरी दी गई है। एनसीडीसी की कैपिटल 2000 करोड़ रुपए बढ़ा दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों और रेलवे से जुड़े छह फैसले किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दो फैसले किसानों से जुड़े हैं और चार फैसले रेलवे से जुड़े हैं। इस मीटिंग का आयोजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार

को हुआ। बैठक में 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) के दौरान चल रही केंद्रीय क्षेत्र योजना 'प्रधानमंत्री किसान संपदा योजन' के लिए 1920 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च को मंजूरी दी गई है। अब इस योजना का बजट बढ़कर कुल 6520 करोड़ पहुंच गया है।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की घटक योजना एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना के अंतर्गत 50 बहु-उत्पाद खाद्य

विकिरण इकाइयों को बनाने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना के तहत एनएबीएल मान्यता प्राप्त 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। इनकी स्थापना के लिए 1000 करोड़ रुपये और 15वें वित्त आयोग के दौरान पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए 920 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

आईसीसीवीआईआई और एफएसव्यूएआई दोनों ही योजनाएं पीएमकेएसवाई योजना का हिस्सा हैं। ये दोनों योजनाएं मांग के आधार पर चलती हैं। ऐसे में देश भर की पात्र संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए अभिरुचि पत्र जारी किए जाएंगे। आओआई के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों को मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पात्रता मानदंडों के अनुसार उचित जांच के बाद अनुमोदित किया जाएगा। प्रस्तावित 50

बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों के कार्यान्वयन से इन इकाइयों के अंतर्गत विकिरणित खाद्य उत्पादों के प्रकार के आधार पर प्रति वर्ष 20 से 30 लाख मीट्रिक टन तक की कुल परीक्षण क्षमता सृजित होने की उम्मीद है। निजी क्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तावित 100 एनएबीएल मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना से खाद्य नमूनों के परीक्षण के लिए उन्नत अवसंरचना का विकास होगा, जिससे खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन

और सुरक्षित खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। सहकारिता क्षेत्र को और मजबूत बनाने के लिए एनसीडीसी को अधिक मजबूत बनाने का फैसला किया गया है। इसकी कैपिटल 2000 करोड़ रुपए बढ़ाई गई है। सहकारिता की नई नीति हाल ही में लॉन्च की गई थी। एनसीडीसी जो कर्ज देती है, उसका नेट एनएपी शून्य है। इस योजना के तहत अगले चार साल तक हर साल 500 करोड़ का कर्ज दिया जाएगा।

कुल 20 हजार करोड़ का कर्ज दिया जाएगा। इससे करीब 13 हजार सहकारी सोसायटी और 3 करोड़ सदस्यों को फायदा होगा।

इस बैठक में इटारसी से नागपुर के बीच चौथी लाइन को मंजूरी दी गई है। वहीं, अल्मोरा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी गई है। छत्रपति संभाजीनगर से प्रभाजी लाइन को भी डबल करने की मंजूरी दी गई है। इससे रेल यातायात बेहतर होगा।



अजय देवगन संग धमाल मचाएंगी ईशा

बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा गुप्ता फिल्म 'धमाल 4' में अजय देवगन के साथ धमाल मचाती नजर आयेगी। बॉलीवुड की ग्लैमरस और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में शुमार ईशा गुप्ता एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। इस बार वह कॉमेडी से भरपूर बहुचर्चित फिल्म धमाल 4 में नजर आयेगी। इंद्र कुमार के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में ईशा गुप्ता अजय देवगन के अपोज़िट एक अहम किरदार में नजर आएंगी। यह जोड़ी इस साल की सबसे दिलचस्प कास्टिंग मानी जा रही है। अपनी खूबसूरती, आत्मविश्वास से भरपूर स्क्रीन प्रेजेंस और दमदार अभिनय के लिए जानी जाने वाली ईशा अब धमाल यूनिवर्स में एक नई चमक लेकर आ रही हैं। धमाल 3 में उनके स्टायिल और तेवरों भरे किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब वह धमाल 4 में वापसी कर रही हैं। इस बार उनका किरदार और भी बोलूड और कहानी में केंद्रीय भूमिका निभाने वाला होगा। निर्देशक इंद्र कुमार ने कहा, हम बहुत खुश हैं कि ईशा गुप्ता दोबारा 'धमाल 4' में हमारे साथ हैं। वह 'धमाल 3' का भी हिस्सा रही थीं। वह एक बेहतरीन अभिनेत्री और शानदार इंसान हैं। उनके साथ काम करना हमेशा सुखद अनुभव होता है। हाल ही में ईशा ने हनी सिंह और जुबिन नोटियाल के साथ ब्राउन आइज वाली और इश्क मेरा जैसे म्यूजिक वीडियोज में धमाल मचाया है। अब वह अपनी खास अदाओं और स्क्रीन पर दमदार उपस्थिति के साथ धमाल 4 में एक नई तजगी लेकर आएंगी।

अनुपम खेर ने मां के जन्मदिन पर सुनाया किस्सा

अभिनेता अनुपम खेर के लिए आज का दिन बेहद खास है। उनकी मां दुलारी का आज जन्मदिन है। इस मौके पर खेर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उनसे जुड़ा किस्सा सुनाया और बताया कि जब उन्होंने मां को जन्मदिन को बधाई दी, तो मां की प्रतिक्रिया मजदार थी और उन्होंने कहा, तुझे याद कैसे है? इस्टाग्राम पर वीडियो को शेयर करते हुए अनुपम खेर ने कैप्शन में लिखा, आज मां का हेप्पी बर्थडे है! जब मैंने उन्हें सुबह विश करने के लिए फोन किया, तो वह मुझे से पृष्ठती हैं, 'तुझे कैसे याद है? मुझे मां का ये पृष्ठना बड़ा अजीब लगा! पर फिर दुख भी हुआ कि मां-बाप वच्चों से उम्मीद ही नहीं करते कि वच्चों को बड़े हो जाने पर उनका जन्मदिन याद रहेगा! खेर ने आगे बताया, मेरी प्यारी माता! इस वीडियो में मैंने छोटी सी कोशिश की है कि मुझे आपके बारे में क्या-क्या याद है, सब बताऊँ। आपने मुझे जन्म दिया! मुझे सब कुछ याद है और आखिरी सांस तक याद रहेगा!

पंकज त्रिपाठी ने शुरू की नई फिल्म की शूटिंग

'क्रि मिनल जस्टिस 4' की सफलता का आनंद ले रहे अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने अपनी अगली अपकमिंग फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री अदिति राव हेदरी नजर आएंगी। गुरुवार को पंकज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फैंस को जानकारी दी। शेयर किए गए पोस्ट के जरिए पंकज त्रिपाठी ने बताया कि फिल्म की शूटिंग लखनऊ में शुरू हो चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म का टाइटल 'परिवारिक मनरंजन' है। उन्होंने इस्टाग्राम पर सेट से अपनी और अभिनेत्री अदिति राव हेदरी की तस्वीरें शेयर की, जिनमें एक तरबीर में वह अदिति को देखकर हंसते हुए नजर आ रहे हैं। यह फिल्म पंकज और अदिति की पहली ऑनस्क्रीन जोड़ी होगी। पंकज ने कैप्शन में लिखा, परिवार, हंगामा और पारिवारिक माहौल! 'परिवारिक मनरंजन' की शूटिंग वरुण वी. शर्मा के निर्देशन में शुरू।



दो साल तक डिप्रेशन में रहीं पायल घोष

अभिनेत्री पायल घोष ने बताया कि पिछले दो सालों से वह काम न मिलने के कारण डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रही थीं। उन्होंने बताया कि इस मुश्किल दौर में उन्हें न तो इंस्टी से और न ही परिवार या दोस्तों से कोई सहारा मिला। वह पूरी तरह अकेली थी और कई बार घर में बंद रहकर रोती थीं। पायल ने अपनी मानसिक स्थिति को संभालने के लिए डॉक्टरों की मदद और दवाइयों का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि दो साल तक काम न मिलना बहुत मुश्किल था, जिससे उनकी बचत भी खत्म होने लगी थी। पायल ने बताया, न तो मुझे इंस्टी से कोई सपोर्ट मिला, चाहें वो मेरे जानने वाले हों या जिनके साथ मैंने पहले काम किया हो और न ही मेरे प्रियजनों से। यह सब मेरे लिए अकलापन बना था। हर एक्टर ऐसे दौर से गुजरता है, जब आप चाहें जो भी कोशिश करें, सब कुछ आपके खिलाफ काम कर रहा होता है और कुछ भी आपके पक्ष में काम नहीं कर रहा होता। पिछले दो साल मेरे लिए ऐसे ही रहे। ऐसे कई मौके आए, जब मैं अकेले रोई हूँ। चिंता, तनाव और सदमे से खुद को घर में बंद करके कई दिन बिताए हैं। चाहें मेरा परिवार हो या इंस्टी, मुझे किसी से कोई सपोर्ट नहीं मिला और मैं घर पर अकेली थी। पायल ने बताया कि उन्हें बढ़ती परेशानियों के लिए पेशेवरों की मदद लेनी पड़ी, अकेलेपन ने मुझे बहुत परेशान किया और इसने मेरे मानसिक स्वास्थ्य को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया। मुझे उन पूरे 2 सालों के लिए पेशेवर मदद और दवा का सहारा लेना पड़ा और हर दिन एक बुरे सपने की तरह था। 2 साल तक बिना काम के रहना एक लंबा समय है। मेरी बचत खत्म हो रही थी, जिंदगी पर असर पड़ रहा था। हालांकि, अब धीरे-धीरे उनके लिए काम के मौके बढ़ रहे हैं और चीजें बेहतर हो रही हैं। पायल ने उम्मीद जताई कि जल्द ही उनके प्रोजेक्ट्स दर्शकों तक पहुंचेंगे और चीजें बेहतर होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि वह नहीं चाहती कि कोई और इस तरह के तनाव और एंजाइटी से गुजरे। उन्होंने बताया कि धीरे-धीरे स्थिति ठीक हो रही है, भगवान की कृपा से अब धीरे-धीरे और लगातार चीजें बेहतर हो रही हैं और काम के ऑफर मिलने लगे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जल्द मेरा काम दर्शकों के लिए सामने आएगा।

यह पत्र मालक, मुद्रक, प्रकाशक मिलिंद दहीवले ने एम.पी.ऑफसेट सिरसपेठ चौक, उमरेड रोड, नागपुर यहां से मुद्रित कर कार्यालय - फ्लैट नंबर 204, दूसरा माला, साकेत अपार्टमेंट, फूलमती ले-आउट, आरोग्यम क्लीनिक के पास, नागपुर-440027 से प्रकाशित किया. मिलिंद दहीवले, मो.9552011005. email : manvadhikar2012@gmail.com वेबसाइट: www.kendriyamanvadhikar.com

This paper is printed by owner, printer and publisher Milind Dahiwalé at MP Offset, Siraspeth Chowk, Umred Road, Nagpur and published from office Flat No. 204, Second Floor, Saket Apartment, Phulmati Layout, Near Arogya Clinic, Nagpur 440027. Milind Dahiwalé Mobile No. 9552011005. email : manvadhikar2012@gmail.com वेबसाइट: www.kendriyamanvadhikar.com

केन्द्रीय मानवाधिकार समाचार पत्र में प्रकाशित सभी लेख, छायाचित्र पर संपादक की सहमति हो, यह आवश्यक नहीं है। न्यायिक कार्यवाही केवल नागपुर न्यायालय में होगी।

